संख्या- 04/2026/113/58-2026-2013233

प्रेषक,

संजीव कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04-02-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय तथा लेखाशीर्षक-2401-119-03-03-उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन की योजना में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-150.00 लाख तथा धनराशि रू0-21.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-171.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-123/बजट/2025-26 दिनांक-13-01-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-171.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय की योजना के मानक मद-42-अन्य व्यय में धनराशि रू0-23.00 लाख एवं मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में धनराशि रू0-127.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-150.00 लाख तथा लेखाशीर्षक-2401-119-03-03-उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन की योजना के मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में धनराशि रू0-21.00 लाख अर्थात सम्पूर्ण धनराशि रू0-171.00 लाख (रू0 एक करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/गाईडलाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग का होगा।

(4) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

(5) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(8) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) धनराशि का आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निदेर्शो का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401000010500 (जिला व मण्डलीय कार्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401000010500 जिला व मण्डलीय कार्यालय	42 अन्य व्यय	23,00,000 (रुपये तेईस लाख मात्र)
2	010	2401000010500 जिला व मण्डलीय कार्यालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,27,00,000 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)

	कुल			**1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001190303 (उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190303 उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
	कुल			**21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)**

महायोग	1,71,00,000 (रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-04 /2026/113(1)/58-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in